मुक्तिधाम में किया वृक्षारोपण

बूंदी। रेडक्रॉस मुक्तिधाम में राजस्थान रेडक्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष राजेश कृष्ण बिरला द्वारा रेड क्रॉस मुक्तिधाम में वृक्षारोपण किया। इस अवसर पर उन्होंने छायादार वृक्ष लगाया। साथ ही रेडक्रॉस मुक्तिधाम को देख कर उन्होंने बहुत प्रशंसा जताई।

नवीन भारत के निर्माण में युवाओं की महत्ती भूमिका : ओम बिरला

बूंदी। लोक सभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि युवा भारत की शक्ति और सामर्थ्य के प्रतिबिंब हैं। युवा ही बदलाव के नेतृत्वकर्ता हैं जो विकसित भारत का निर्माण करेंगे। वे बूंदी में आयोजित युवा उत्सव कार्यक्रम ''पंच प्रण'' कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। नेहरू युवा केंद्र, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित जिला युवा उत्सव 2023 कार्यक्रम में मुख्य अतिथि माननीय लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला रहे।

जिला युवा उत्सव कार्यक्रम में युवाओं को सम्मानित करते लोकसभा अध्यक्ष।

अध्यक्षता विधायक अशोक डोगरा ने की। विशिष्ट अतिथि नेहरू युवा केन्द्र राज्य निदेशक महेन्द्र सिंह सिसोदिया एवं नेता प्रतिपक्ष मुकेश माधवानी रहे। लोकसभा अध्यक्ष बिरला ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि युवाओं में ऊर्जा, सामर्थ्य एवं भौतिक क्षमता अटूट है, युवाओं के सपने एवं संकल्प अद्भुत है, नवीन भारत के निर्माण में युवाओं की महत्ती भूमिका है। युवाओं द्वारा राष्ट्र निर्माण में अभूतपूर्व योगदान को सराहा एवं युवा महोत्सव की शुभकामनाएं दी एवं युवाओं से आव्हान किया कि भारत को 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिये गये पंच प्रण मंत्र को अपनाये।पंच प्रण पर हुई पांच प्रतियोगिताएं

कार्यक्रम में अमृत काल के पंच प्रण (विकसित भारत का निर्माण, एकता- एकजुटता, गुलामी की हर सोच से मुक्ति, नागरिक कर्तव्य तथा विरासत पर गर्व) विषय (थीम) पर पाँच प्रतियोगिता भाषण प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता, कविता लेखन प्रतियोगिता, मोबाईल फोटोग्राफी प्रतियोगिता, सामूहिक सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं आयोजित हुई, जिनमें लगभग 1000 युवाओं ने भाग लिया। विभिन्न विषय विशेषज्ञों /प्रोफेसरों/ कलाकारों के द्वारा परिणाम निर्धारित किया गया। प्रतियोगिता निर्णायक मण्डल में पंकज सिसोदिया, सतीश शर्मा, दिनेश वर्मा, त्रिभुवन गौतम, पीयूष पाचक, देशबंधु दाधीच, नंद प्रकाश शर्मा, नितिन गौतम, नारायण मंडोवरा, चतुर्भुज महावर, धर्मेंद्र गुर्जर, डॉ.सर्वेश तिवारी, उषा शर्मा, निकिता नामा, जगदीश अनुरागी शामिल रहे। विभिन्न विभागों के द्वारा विभागीय योजनाओ की जानकारी हेतु प्रदर्शनी एवं स्टॉलें लगाई गई,अतिथियों एवं प्रतिभागियों द्वारा अवलोकन किया। प्रदर्शनी में संचार ब्यूरो विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग,जिला उद्योग केन्द्र, लीड बैंक अधिकारी कार्यालय,प्रबंधक, बैंक ऑफ बड़ौदा तैम्ज्प् विभाग,महिला अधिकारिता विभाग, कृषि विज्ञान केन्द्र,राजस्थान कौशल एवं आजीविका निगम, आयुर्वेद विभाग,नेहरू युवा केन्द्र आदि विभाग शामिल रहे।

फांसी लगा कर युवक ने की आत्महत्या

बून्दी। नमाना थाना क्षेत्र वार गांव में बीती रात एक युवक ने घर पर फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलने पर नमाना थानाधिकारी रमेशचंद्र ने मौके पर पहुंच कर शव को फंदे से नीचे उतरवा कर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। शुक्रवार सुबह पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। थानाधिकारी रमेश चंद्र ने बताया कि भगवान भील ने बीती रात फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली थी, मौत के कारणों का अभी पता नहीं नहीं चल पाया है। मृतक के दो बच्चे हैं। भगवान मजदूरी का काम करता है।

दुष्कर्म के तीनों आरोपी गिरफ्तार

बून्दी। नमाना थाना क्षेत्र में नाबालिग युवती के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपियों को बून्दी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जिला पुलिस अधीक्षक जय यादव के निर्देश पर त्वरित कार्यवाही करते हुए नाबालिग युवती के साथ दुष्कर्म के आरेप में केवडिया गांव निवासी फोरूलाल भील (21 वर्ष), सोनू भील (21 वर्ष) तथा बबलू भील (21 वर्ष) को गिरफ्तार किया। थानाधिकारी रमेश चंद्र ने बताया कि आरोपियों को शुक्रवार को पोक्सो कोर्ट में पेश किया गया, जहां से तीनों आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया।

अमित धारीवाल ने पट्टे वितरित किए

कोटा, (निसं)। नगर निगम कोटा उत्तर के रिसेप्शन हॉल में शुक्रवार को प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत पटट्ा आवेदन क्रत्ताओं को लगभग 250 पट्टों का वितरण किया गया और उन्हें उनका मालिकाना हक राजस्थान सरकार की मंशाअनुरूप प्रदान किया गया। पी.सी.सी सदस्य अमित धारीवाल, नगर निगम कोटा उत्तर की महापौर मंजू मेहरा व आयुक्त अनुराग भार्गव द्वारा कोटा उत्तर के विभिन्न क्षेत्र के पट्टा आवेदनकर्ताओं को पट्टा वितरण किया गया। पट्टा प्राप्त करते ही आवेदनकर्ताओं के बीच एक खुशी की लहर छा गई। उन्होने राजस्थान सरकार को धन्यवाद दिया। कार्यक्रम में श्रीपुरा, पाटनपोल, घण्टाघर, नयापुरा, ब्रजराजपुरा, लाड़पुरा, धाकड़खेड़ी, रायपुरा, देवलीअरब, राजनगर, नयानोहरा, बोरखेड़ा, सोगरिया, रोटेदा, चन्द्रेसल, दसलाना, हनुमानपुरा, गुमानपुरा, झालीपुरा, हाथीखेड़ा, खारीबावड़ी, मण्डानिया, मानपुरा, नया भदाना आदि क्षेत्र के आवेदनकर्ताओं को पट्टा प्रदान किए गये। पट्टा वितरण के दौरान पी.सी.सी. सदस्य अमित धारीवाल ने कहा कि राजस्थान सरकार ही एक मात्र ऐसी सरकार है जिसमें लोगों को योजना के तहत पट्टे वितरण कर उन्हें मालिकाना हक दिया जा रहा है। उन्होने कहा कि इसी के साथ ही राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री मंहगाई को देखते हुए राजस्थान के निवासियों के लिए मंहगाई राहत शिविर आयोजित करवा रहे है।

पट्टा वितरण के दौरान अतिरिक्त आयुक्त गजेन्द्र सिंह, उपायुक्त हर्षित वर्मा व वार्ड पार्षद रचना शर्मा, ईना मीणा, सुशील त्रिपाठी, महेन्द्र वर्मा, जमनाबाई, देवेन्द्र शर्मा और मनोज सैनी व समाजसेवी मन्टू आदि गणमाण्य लोग मौजूद रहे।

पचेल कलां में महंगाई राहत कैंप संपन्न

अंता,(निसं)। पंचायत समिति अन्ता की ग्राम पंचायत पचेल कलां में शुक्रवार को प्रशासन गांवों के संग अभियान के तहत शिविर एवं महंगाई राहत कैंप का आयोजन भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र में उपखंड अधिकारी अंता दीपक कुमार महावर की उपस्थिति में संपन्न हुआ।

शिविर के दौरान राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई 10 योजनाओ का लाभ देने के लिए महंगाई राहत कैंप में पंजीकरण कर लाभार्थियों को कार्ड वितरित किए गए। इस अवसर पर शिविर में अनेक समस्याओं का समाधान मौके पर ही किया जाकर राहत प्रदान की गई। कैंप में चंद्र वदन गौतम अति रिक्त विकास अधिकारी पंचायत समिति अन्ता संजय गोयल ब्लाक सांख्यिकी अधिकारी। शंभूदयाल बैरवा ग्राम विकास अधिकारी चंद्र कला बैरवा सरपंच पचेल कला गणराज मीणा मुख्य ब्लाक शिक्षा अधिकारी अंता रमेश चंद लोधा अशोक कुमार पांचाल पंचायत शिक्षक तथा 19 सरकारी विभागों के अधिकारी कर्मचारी हेमंत बैरवा जनप्रतिनिधि मनोज नंदवाना पूर्व सरपंच एवं सुनील गोचर सहित अन्य ग्राम जन मौजूद रहे।

बोर्ड परीक्षा का परिणाम शत-प्रतिशत

रावतभाटा, । अधिशासी अभियंता धीरज गुप्ता के आकस्मिक निधन की जैसे ही खबर लगी तो समस्त अग्रवाल समाज के सहित पूरे रावतभाटा में शोक की लहर फैल गए। समाज के अनेक सदस्य कोटा उनके अंतिम संस्कार में और बाद में उनके निजी निवास पर पहुंच कर परिवार को सांत्वना दी।अग्रवाल समाज के नरेश गुप्ता व मनोज अग्रवाल ने बताया कि धीरज गुप्ता बहुत ही मिलनसार,हँसमुख स्वभाव के थे। समाज को धीरज गुप्ता की कमी हमेशा रहेंगी। संदीप गुप्ता व गोविंद गुप्ता ने कहा कि धीरज गुप्ता हर समय हर किसी की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते थे।

अग्रवाल समाज के सभी सदस्यों ने धीरज गुप्ता को श्रद्धांजलि देते हुए एक गरीब असहाय परिवार को एक महीने की राशन सामग्री भेंट की। विजय नीमा और समाज के सदस्यों ने कहा कि धीरज गुप्ता ने हमें दूसरों की भला करना ही सिखाया, उन्हीं के पदचि ों पर चलते हुए हम ये कार्य कर रहे हैं।रचना अग्रवाल, पी. के. गर्ग की तरफ़ से भी गरीब परिवार को सहायता की ग। इस मौके पर आर. के. मित्तल, दीपक अग्रवाल,एस. एस. सिंधल, दिनेश गुप्ता,वेदप्रकाश गुप्ता,अतुल मित्तल,भगवती अग्रवाल, शरद अग्रवाल, मुदित अग्रवाल,आर. के. गोयल सहित समाज के सभी सदस्यों द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित की गए।

किशोर न्यायबोर्ड में पौधे रोप

बूंदी। पर्यावरण संरक्षण एवं वृक्षारोपण अभियान के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा किशोर न्यायबोर्ड परिसर में वृक्षारोपण किया गया। इस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष सुधीर पारीक ने वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का महत्व समझाया। इस दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव सुमन गुप्ता, किशोर न्याय बोर्ड की अध्यक्ष डिम्पल जंडेल, राजकीय सम्प्रेक्षण एवं किशोर गृह अधीक्षक हुकम चंद जाजौरिया, बाल कल्याण समिति अध्यक्ष सीमा पोद्दार व किशोर न्याय बोर्ड के सदस्यों ने भी वृक्षारोपण कर आमजन को वृक्षारोपण हेतु प्रेरित किया।

कार्यकारिणी की घोषणा

कोटा, (निसं)। कोटा में पत्रकारों के हितार्थ और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए साथ ही सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पत्रकारों को मिले इस उद्देश्य से ग्रेटर कोटा प्रेस क्लब के गठन की विधिवत घोषणा शुक्रवार को रोटरी बिनारी सभागार में की गई। कार्यक्रम में सर्वसम्मति से संरक्षक मंडल व कार्यकारिणी की घोषणा की गई जिसमें सुनील माथुर को अध्यक्ष घोषित किया गया जबकी अनिल भारद्वाज को महासचिव नियुक्त किया गया।

इसके अतिरिक्त वरिष्ठ उपाध्यक्ष हेमंत शर्मा, उपाध्यक्ष हरिमोहन शर्मा, संयुक्त सचिव चन्द्रप्रकाश शर्मा, कोषाध्यक्ष बद्री प्रसाद गौतम को नियुक्त किया गया। इसके साथ ही कार्यकारिणी सदस्यों में संजय वर्मा, धीरज गुप्ता तेज, शाकिर अली, दिनेश कश्यप व रुबीना काजी को चुना गया है। कार्यालय सचिव हंसपाल यादव को चुना गया। संरक्षक मंडल की जिम्मेदारी प्रद्युम्न शर्मा, श्याम रोहिडा, केएल जैन, पवन आहुजा, धीरज गुप्ता, सुबोध जैन, कय्यूम अली को सौंपी गई है।

इसके अतिरिक्त विशेष आमंत्रित सदस्यों में मनीष गौतम, लेखराज, हिमांशु मित्तल, भंवर सिंह चारण को बनाया गया है।

कार्यक्रम को सर्वप्रथम प्रद्युम्न शर्मा ने सम्बोधित करते हुए कहा कि वर्तमान परिस्थियों को देखते हुए नए प्रेसक्लब की आवश्यकता महसूस की गई जिसमें सभी वर्किंग जर्नलिस्ट की समस्याओं का समाधान किया जा सके वहीं उनकी बात को सरकार तक पहुंचाया जा सके। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ पत्रकारों के मार्गदर्शन में ये ग्रेटर कोटा प्रेस क्लब निरंतर आगे बढेगा।

-: आम सूचना :-

सर्व साधारण को मेरे पक्षकारान के निर्देश पर उक्त आम सूचना जारी करता हूं कि मेरे पक्षकारान ने खं.नं. 477, 478, 479, 488/2, 1768/478, 1795/478 एवं 1852/477 की कुल आराजी 7.33 हैक्टेयर वाके ग्राम मण्डाना, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र मण्डाना, पटवार हल्का मण्डाना, तहसील लाडपुरा जिला कोटा (राज.) को टेक्नो इण्डिया, ए रजिस्टर्ड ट्रस्ट, कार्यालय चटर्जी इन्टरनेशनल सेन्टर, 12 वीं फ्लोर, 33-ए चोरंगी रोड, कोलकत्ता 700071 निदेशक सोमित्रा भोमिक पुत्र दिलीप कुमार भौमिक जाति कायस्थ निवासी 21/4 कलकत्ता से क्रय करने का सौदा किया है, जिसका विक्रय पत्र पंजीयन करवाया जाना है उक्त आराजियात के सौदे के संबंध में किसी भी व्यक्ति, बैंक, संस्था या दीगर व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह इस आम सूचना के प्रकाशन से 07 योम की अवधि में अपनी आपत्ति लिखित में मय दस्तावेजात के मेरे कार्यालय में प्रस्तुत करें अन्यथा बाद गुजरने मियाद किसी भी व्यक्ति की किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।

मनोज जैन (एडवोकेट)

नानक टावर, न्यू पोस्ट ऑफिस रोड़, कोटा जंक्शन, कोटा (राज.) मो. 9887772008, 8619906693

कार्यालय नगरपालिका झालरापाटन जिला झालावाड़ (राज.)

क्रमांकः न.पा.झा.पा./भू.रुपा./2023/797-99 **लोक सूचना** दिनांकः-02.06.23

खातेदार श्रीमती चरण देवी अरोडा पत्नी स्व. श्री नन्दलाल अरोडा निवासी श्री नगर विला झालावाड़ ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का कृषि से व्यवसायिक हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात-

जिले सहित तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खसरा नम्बर	क्षेत्रफल
तह. झालरापाटन जिला झालावाड़	गिन्दौर	1288/1211, 1290/1213 1292/1215, कुल किता-3	0.1536

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त, प्रयोजनों के लिये भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकता है।

उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तद्नुसार मामले का निपटारा कर दिया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक 02.06.23 को जारी की गयी।

अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका झालरापाटन

राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वृत्त कोटा

क्रमांक 903 **जाहिर आम सूचना** दिनांक 1.6.2023

आवास संख्या 4-बी-15 महावीर नगर तृतीय, कोटा का आवंटन मण्डल द्वारा श्री अशोक कुमार माथुर पुत्र श्री जगमोहन लाल माथुर को किया गया था। इस आवास का पंजीयन श्री अशोक कुमार माथुर पुत्र श्री जगमोहन लाल माथुर द्वारा दिनांक 01.08.1989 को अपने पक्ष में करवाया जा चुका है। पंजीयन उपरांत श्री अशोक कुमार माथुर द्वारा इस आवास का बैचान जरिय बयनामा आलेखित कर दिनांक 31.12.1991 को श्री गुलाब चन्द गुप्ता पुत्र श्री कृष्ण को किया गया। श्री गुलाब चन्द गुप्ता की मृत्यु 25.11.1998 को एवं श्रीमति दाखां बाई की मृत्यु दिनांक 26.06.2013 को हो चुकी है। इनकी मृत्यु पश्चात उनके समस्त वारिसानों श्री ओमप्रकाश गुप्ता, श्री सूर्यप्रकाश गुप्ता एवं श्री हरिप्रकाश गुप्ता द्वारा उक्त आवास का बैचान जरिये विक्रय पत्र आलेखित कर दिनांक 20.06.2014 को श्री रामावतार गर्ग पुत्र श्री मोतीलाल को किया गया। श्री रामावतार गर्ग पुत्र श्री मोतीलाल का नाम दिनांक 28.06.2018 को मण्डल अभिलेख में दर्ज किया गया। तत्पश्चात श्री रामावतार गर्ग पुत्र श्री मोतीलाल द्वारा उक्त आवास का बैचान जरिये विक्रय पत्र आलेखित कर दिनांक 12.05.2021 को श्रीमती उर्मिला जैन पत्नी श्री पारसमल जैन को किया गया। श्रीमती उर्मिला जैन पत्नी श्री पारसमल जैन द्वारा इस कार्यालय में प्रतिवेदन प्रस्तुत कर उक्त आवास के मण्डल अभिलेख में विक्रय पत्र के आधार पर अपना नाम दर्ज करने हेतु आवेदन किया गया।

अतः उक्त आवास के मण्डल अभिलेख में विक्रय पत्र के आधार पर श्रीमती उर्मिला जैन पत्नी श्री पारसमल जैन के नाम दर्ज किये जाने में किसी भी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर इस कार्यालय को सूचित करें। अन्यथा यह मानते हुए कि इस आवास के मण्डल अभिलेख में विक्रय पत्र के आधार पर श्रीमती उर्मिला जैन पत्नी श्री पारसमल जैन का नाम दर्ज करने में किसी भी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ति नही है। उक्त आवास के मण्डल अभिलेख में विक्रय पत्र के आधार पर विक्रय पत्र के आधार पर श्रीमती उर्मिला जैन पत्नी श्री पारसमल जैन के नाम दर्ज कर दिया जावेगा।

उप आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, कोटा वृत्त कोटा

राजस्थान आवासन मण्डल वृत्त कोटा

क्रमांक 912 **जाहिर आम सूचना** दिनांक-

आवास संख्या 1-क-42 केशवपुरा, कोटा का आवंटन मण्डल द्वारा श्री यतीन्द्र कुमार तिवारी पुत्र श्री भंवरलाल शर्मा को किया गया। इस आवास का नियमितिकरण श्रीमती पंकजलता पत्नी श्री श्रीकान्त गौतम के नाम दिनांक 04.03.1998 को किया गया। उक्त आवास का पंजीयन श्रीमती पंकजलता पत्नी श्री श्रीकान्त गौतम द्वारा अपने पक्ष में दिनांक 15.12.2008 को करवा लिया गया। मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर श्रीमती पंकजलता की मृत्यु दिनांक 07.01.2022 को हो चुकी है। एवं इनके पति श्री श्रीकान्त गौतम की भी मृत्यु दिनांक 27.05.2017 को हो चुकी है। मृतक के अन्य वारिसानों में डॉ. कौशल गौतम पुत्र स्व. श्री श्रीकान्त गौतम द्वारा उक्त आवास में निहित अपने हिस्से का परित्याग जरिये हक त्याग पत्र (रिलीज डीड) आलेखित कर दिनांक 26.05.2022 को श्री प्रकाश गौतम पुत्र स्व. श्री श्रीकान्त गौतम के पक्ष में किया गया। श्री प्रकाश गौतम (रिलीज डीड) एवं मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर उक्त आवास का हस्तान्तरण/प्रतिस्थापन स्वयं के नाम किये जाने हेतु इस कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

अतः इस आवास को श्री प्रकाश गौतम पुत्र स्व. श्री श्रीकान्त गौतम के नाम प्रतिस्थापित/हस्तांतरण करने में किसी भी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर इस कार्यालय को सूचित करें। अन्यथा यह मानते हुए कि इस आवास को श्री प्रकाश गौतम पुत्र स्व. श्री श्रीकान्त गौतम के नाम प्रतिस्थापित/हस्तांतरण करने में किसी भी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ति नही है। इस आवास को श्री प्रकाश गौतम पुत्र स्व. श्री श्रीकान्त गौतम के नाम प्रतिस्थापित/हस्तांतरण कर दिया जावेगा।

उप आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, कोटा वृत्त कोटा

राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वृत्त कोटा

क्रमांक 933 **जाहिर आम सूचना** दिनांक 2.6.2023

आवास संख्या 1-ठ-37 विज्ञान नगर, कोटा का आवंटन मण्डल द्वारा श्री अक्षेन्द्र कुमार जैन पुत्र श्री शरद चन्द्र पावेजा को किया गया था। इस आवास का नियमितिकरण श्री चन्द्र कान्त पुत्र श्री केवल राम के नाम दिनांक 18.05.2002 को किया गया। इस आवास का पंजीयन श्री चन्द्र कान्त पुत्र श्री केवल राम द्वारा दिनांक 30.05.2002 को अपने पक्ष में करवाया जा चुका है। पंजीयन उपरांत श्री चन्द्र कान्त जयसिंघानी पुत्र श्री केवल राम द्वारा उक्त आवास का बैचान जरिये विक्रय पत्र आलेखित कर दिनांक 18.11.2004 को श्री रघुनन्दन सक्सेना पुत्र श्री हरीहर प्रसाद सक्सेना को किया गया। श्री रघुनन्दन सक्सेना पुत्र श्री हरीहर प्रसाद सक्सेना का नाम दिनांक 25.04.2022 को मण्डल अभिलेख में दर्ज किया जा चुका है। तत्पश्चात श्री रघुनन्दन सक्सेना पुत्र श्री हरीहर प्रसाद सक्सेना द्वारा इस आवास का बैचान जरिये विक्रय पत्र आलेखित कर दिनांक 24.06.2022 को श्रीमती अंजुम फिरदौस अंसारी पत्नी श्री मोहम्मद युनुस अंसारी को किया गया। श्रीमती अंजुम फिरदौस अंसारी पत्नी श्री मोहम्मद युनुस अंसारी द्वारा इस कार्यालय में प्रतिवेदन प्रस्तुत कर उक्त आवास के मण्डल अभिलेख में विक्रय पत्र के आधार पर अपना नाम दर्ज करने हेतु आवेदन किया गया।

अतः उक्त आवास के मण्डल अभिलेख में विक्रय पत्र के आधार पर श्रीमती अंजुम फिरदौस अंसारी पत्नी श्री मोहम्मद युनुस अंसारी के नाम दर्ज किये जाने में किसी भी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर इस कार्यालय को सूचित करें। अन्यथा यह मानते हुए कि इस आवास के मण्डल अभिलेख में विक्रय पत्र के आधार पर श्रीमती अंजुम फिरदौस अंसारी पत्नी श्री मोहम्मद युनुस अंसारी का नाम दर्ज करने में किसी भी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ति नही है। उक्त आवास के मण्डल अभिलेख में विक्रय पत्र के आधार पर विक्रय पत्र के आधार पर श्रीमती अंजुम फिरदौस अंसारी पत्नी श्री मोहम्मद युनुस अंसारी के नाम दर्ज कर दिया जावेगा।

उप आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, कोटा वृत्त कोटा

राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वृत्त कोटा

क्रमांक 936 **जाहिर आम सूचना** दिनांक - 2.6.23

आवास संख्या 6-एन-10 महावीर नगर विस्तार योजना कोटा का आवंटन मंडल द्वारा श्री शिवकुमार सहजवानी पुत्र श्री चुन्नीलाल को किया गया था। इस आवास का नियमितिकरण श्री झामन दास पुत्र श्री वसन्द मल के नाम दिनांक 17.03.1999 को किया गया। इस आवास का पंजीयन श्री झामन दास पुत्र श्री वसन्द मल द्वारा दिनांक 30.03.1999 को अपने पक्ष में करवाया जा चुका है। पंजीयन उपरांत श्री झामन दास पुत्र श्री वसन्द मल द्वारा उक्त आवास से संबंधित समस्त कार्य करने हेतु अपनी ओर से दिनांक 05.01.2004 को श्री भगवान दास चंचलानी पुत्र श्री रोची राम चंचलानी को मुख्तारनामा आम धारक नियुक्त किया गया। श्री भगवान दास चंचलानी पुत्र श्री रोची राम चंचलानी द्वारा मुख्तारनामा आम धारक की हैसियत से उक्त आवास का बैचान जरिये विक्रय पत्र आलेखित दिनांक 13.10.2005 को श्री पदम कुमार जैन पुत्र श्री भैरूलाल जैन को किया गया। श्री पदम कुमार जैन पुत्र श्री भैरूलाल जैन का नाम दिनांक 20.05.2016 को मंडल अभिलेख में दर्ज किया गया। तत्पश्चात श्री पदम कुमार जैन पुत्र श्री भैरूलाल जैन द्वारा उक्त आवास का बैचान जरिये विक्रय पत्र आलेखित कर दिनांक 05.04.2023 को श्रीमती रेखा कुमारी पत्नी श्री पवन को किया गया। श्रीमती रेखा कुमारी पत्नी श्री पवन द्वारा इस कार्यालय में प्रतिवेदन प्रस्तुत कर विक्रय पत्र के आधार पर अपना नाम आवास के मंडल अभिलेख में दर्ज करने हेतु आवेदन किया गया है।

अतः उक्त आवास के मंडल अभिलेख में विक्रय पत्र के आधार पर श्रीमती रेखा कुमारी पत्नी श्री पवन के नाम दर्ज करने में किसी भी पक्षकार/व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर इस कार्यालय को सूचित करें। अन्यथा यह मानते हुये कि उक्त आवास के मंडल अभिलेख में विक्रय पत्र के आधार पर श्रीमती रेखा कुमारी पत्नी श्री पवन का नाम दर्ज किये जाने में किसी भी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ति नहीं है। उक्त आवास के मंडल अभिलेख में विक्रय पत्र के आधार पर श्रीमती रेखा कुमारी पत्नी श्री पवन के नाम दर्ज कर दिया जावेगा।

उप आवासन आयुक्त राजस्थान आवासन मण्डल, कोटा वृत्त कोटा

राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वृत्त कोटा

क्रमांक 932 **जाहिर आम सूचना** दिनांक - 2.6.23

आवास संख्या 6-एफ-36 विज्ञान नगर विस्तार योजना कोटा का आवंटन मंडल द्वारा श्रीमती राम निवासी बाई पत्नी श्री देवी लाल मेघवाल को किया गया था। इस आवास का नियमितिकरण श्री चन्दर कुमार पुत्र स्व. श्री किशन चंद के नाम दिनांक 10.08.2006 को किया गया। इस आवास का पंजीयन श्री चन्दर कुमार पुत्र स्व. श्री किशन चंद द्वारा दिनांक 16.07.2007 को अपने पक्ष में करवाया जा चुका है। पंजीयन उपरांत श्री चन्दर कुमार पुत्र स्व. श्री किशन चंद द्वारा उक्त आवास का बैचान जरिये विक्रय पत्र आलेखित कर दिनांक 31.03.2008 को श्री मनोज कुमार टेकवानी पुत्र श्री सुरेश चंद टेकवानी को किया गया। श्री मनोज कुमार टेकवानी पुत्र श्री सुरेश चंद टेकवानी का नाम दिनांक 07.03.2018 को मंडल अभिलेख में दर्ज किया गया। तत्पश्चात श्री मनोज कुमार टेकवानी पुत्र श्री सुरेश चंद टेकवानी द्वारा उक्त आवास का बैचान जरिये विक्रय पत्र आलेखित कर दिनांक 29.10.2018 को श्रीमती नाजिश हुसैन पत्नी श्री मोहम्मद सरफराज को किया गया। श्रीमती नाजिश हुसैन पत्नी श्री मोहम्मद सरफराज द्वारा इस कार्यालय में प्रतिवेदन प्रस्तुत कर विक्रय पत्र के आधार पर अपना नाम आवास के मंडल अभिलेख में दर्ज करने हेतु आवेदन किया गया है।

अतः उक्त आवास के मंडल अभिलेख में विक्रय पत्र के आधार पर श्रीमती नाजिश हुसैन पत्नी श्री मोहम्मद सरफराज के नाम दर्ज करने में किसी भी पक्षकार/व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर इस कार्यालय को सूचित करें। अन्यथा यह मानते हुये कि उक्त आवास के मंडल अभिलेख में विक्रय पत्र के आधार पर श्रीमती नाजिश हुसैन पत्नी श्री मोहम्मद सरफराज का नाम दर्ज किये जाने में किसी भी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ति नहीं है। उक्त आवास के मंडल अभिलेख में विक्रय पत्र के आधार पर श्रीमती नाजिश हुसैन पत्नी श्री मोहम्मद सरफराज के नाम दर्ज कर दिया जावेगा।

उप आवासन आयुक्त राजस्थान आवासन मण्डल, कोटा वृत्त कोटा

राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वृत्त कोटा

क्रमांक 945 **जाहिर आम सूचना** दिनांक - 2.6.23

आवास संख्या 1-घ-7 विज्ञान नगर कोटा का आवंटन मंडल द्वारा श्री भंवर लाल जैन पुत्र श्री धूरालाल जैन को किया गया। इस आवास का पंजीयन श्री भंवर लाल जैन पुत्र श्री धूरालाल जैन द्वारा दिनांक 16.08.1990 को अपने पक्ष में करवाया जा चुका है। श्री भंवर लाल जैन पुत्र श्री धूरालाल जैन की मृत्यु दिनांक 19.10.2020 को एवं इनके पुत्र श्री प्रमोद कुमार जैन पुत्र श्री भंवर लाल जैन की मृत्यु दिनांक 19.10.2020 को हो चुकी है। श्रीमती सरोज जैन पुत्री स्व. श्री भंवर लाल जैन पत्नी श्री दिनेश जैन द्वारा इस आवास से संबंधित समस्त कार्य करने हेतु अपनी ओर से दिनांक 20.12.2022 को श्री नरेन्द्र कटारिया पुत्र स्व. श्री भंवर लाल जैन को विशेष मुख्तारनामा आम धारक नियुक्त किया गया। इसी प्रकार श्री अमन कटारिया पुत्र स्व. श्री प्रमोद कुमार जैन द्वारा इस आवास से संबंधित समस्त कार्य करने हेतु अपनी ओर से दिनांक 20.12.2022 को श्री उषा जैन पत्नी स्व. श्री प्रमोद जैन को मुख्तारनामा आम धारक नियुक्त किया गया। इनकी मृत्यु उपरांत इनके समस्त वारिसानों श्री वीरेन्द्र कुमार जैन पुत्र स्व. श्री भंवर लाल जैन, श्री नरेन्द्र कटारिया पुत्र स्व. श्री भंवर लाल जैन, श्रीमती रेखा जैन पुत्री स्व. श्री भंवर लाल जैन पत्नी श्री लक्ष्मण जैन, श्रीमती आशा जैन पुत्री स्व. श्री भंवर लाल जैन पत्नी श्री अभय कुमार जैन, श्रीमती उषा जैन पत्नी स्व. श्री प्रमोद जैन एवं श्री प्रितम कटारिया पुत्र स्व. श्री प्रमोद जैन द्वारा उक्त आवास में निहित अपने हिस्सों का त्याग जरिये हक त्याग पत्र आलेखित कर दिनांक 25.01.2023 को अपनी माता श्रीमती कमलेश जैन पत्नी स्व. श्री भंवर लाल जैन के पक्ष में किया गया। श्रीमती कमलेश जैन पत्नी स्व. श्री भंवर लाल जैन का नाम दिनांक 28.03.2023 को मंडल अभिलेख में दर्ज किया गया। तत्पश्चात श्रीमती कमलेश जैन पत्नी स्व. श्री भंवर लाल जैन द्वारा इस आवास का बैचान जरिये विक्रय पत्र आलेखित कर दिनांक 09.05.2023 को श्री राजेन्द्र अग्रवाल पुत्र श्री झाबरमल अग्रवाल को किया गया। श्री राजेन्द्र अग्रवाल पुत्र श्री झाबरमल अग्रवाल द्वारा इस कार्यालय में प्रतिवेदन प्रस्तुत कर उक्त आवास के मंडल अभिलेख में विक्रय पत्र के आधार पर अपना नाम दर्ज करने हेतु आवेदन किया गया।

अतः उक्त आवास के मंडल अभिलेख में विक्रय पत्र के आधार पर श्री राजेन्द्र अग्रवाल पुत्र श्री झाबरमल अग्रवाल के नाम दर्ज करने में किसी भी पक्षकार/व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर इस कार्यालय को सूचित करें। अन्यथा यह मानते हुये कि उक्त आवास के मंडल अभिलेख में विक्रय पत्र के आधार पर श्री राजेन्द्र अग्रवाल पुत्र श्री झाबरमल अग्रवाल का नाम दर्ज किये जाने में किसी भी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ति नहीं है। उक्त आवास के मंडल अभिलेख में विक्रय पत्र के आधार पर श्री राजेन्द्र अग्रवाल पुत्र श्री झाबरमल अग्रवाल के नाम दर्ज कर दिया जावेगा।

उप आवासन आयुक्त राजस्थान आवासन मण्डल, कोटा वृत्त कोटा

कार्यालय नगर विकास न्यास, कोटा

क्रमांकः-1927 **नाम हस्तान्तरण चाहने बाबत आम सूचना** दिनांकः-2.6.2023

नगर विकास न्यास कोटा द्वारा योजना विनोबा भावे नगर के भूखंड/आवास संख्या 888 श्री रामकरण महावर पुत्र श्री लक्ष्मण महावर को न्यास के पत्र दिनांक 16.07.2012 को आवंटन किया गया था। आवंटी श्री रामकरण महावर पुत्र श्री लक्ष्मण महावर की मृत्यु दिनांक 29.12.2012 को हो चुकी है। मृत्यु उपरांत क्रेता के विधिक वारिसान श्रीमती संतोष महावर पत्नी स्व. श्री रामकरण महावर प्रस्तुत मृत्यु प्रमाण पत्र, रिलीज डीड, शपथ पत्र, आईडी इत्यादि प्रस्तुत कर उक्त भूखंड/आवास अपने नामहस्तान्तरण की स्वीकृति नगर विकास न्यास कोटा से चाही जा रही है।

अतः जरिये आम सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम हस्तान्तरण की स्वीकृति देने में किसी को भी कोई ऐतराज हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिवस के अन्दर अन्दर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा मियाद गुजरने के पश्चात उक्त भूखण्ड/आवास संख्या 888 योजना विनोबा भावे नगर का नाम हस्तान्तरण श्रीमती संतोष महावर पत्नी स्व. श्री रामकरण महावर के नाम स्वीकृति जारी कर दी जावेगी।

उपसचिव नगर विकास न्यास, कोटा

कार्यालय नगर विकास न्यास, कोटा

क्रमांकः-एफ11/विक्रय/2023/246 दिनांकः-02.06.23

नाम हस्तान्तरण चाहने बाबत आम सूचना

नगर विकास न्यास कोटा द्वारा रानपुर आवासीय योजना के भूखंड संख्या 91 का दिनांक 05.05.2010 को श्री किशन सिंह हाडा पुत्र श्री मदन सिंह हाडा के नाम आवंटन किया गया था। श्री किशन सिंह हाडा पुत्र श्री मदन सिंह हाडा द्वारा उक्त भूखंड जर्ये मुख्तारआम श्री बाबू लाल गोचर पुत्र श्री मूलचन्द गोचर द्वारा जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 02.03.2023 को श्रीमती रामू बाई गोचर पत्नी श्री बाबू लाल गोचर को विक्रय कर दिया गया है। अतः श्रीमती रामू बाई गोचर पत्नी श्री बाबू लाल गोचर द्वारा उक्त भूखंड का स्वामित्व अपने नाम से नामहस्तान्तरण करने हेतु न्यास में आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

अतः जरीये आम सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम हस्तान्तरण की स्वीकृति देने में किसी को भी कोई ऐतराज हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिवस के अन्दर अन्दर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा मियाद गुजरने के पश्चात उक्त भूखंड संख्या 91 रानपुर आवासीय योजना का नामहस्तान्तरण श्रीमती रामू बाई गोचर पत्नी श्री बाबू लाल गोचर के नाम स्वीकृति जारी कर दी जावेगी।

उपसचिव नगर विकास न्यास, कोटा

कार्यालय नगर विकास न्यास, कोटा

क्रमांकः-एफ-15/कृ.भू.रू./2023/299 **विज्ञप्ति** दिनांकः-01.06.2023

सर्व साधारण को जर्ये विज्ञप्ति सूचित किया जाता है कि ग्राम कुन्हाड़ी में स्थित कृषि भूमि योजना लक्ष्मण विहार-11 खसरा नं. 375 में स्थित भूखंड संख्या 15 आवेदक/आवेदिका श्रीमती स्वीटी जैन पत्नी श्री मनीष कुमार जैन एवं मनीष कुमार जैन पुत्र स्व. श्री अशोक कुमार जैन निवासी 7 अजमेरा भवन लक्ष्मण विहार सेकिण्ड बीएसएन एकेडमी के सामने कुन्हाड़ी कोटा राज. द्वारा ऑनलाईन नाम हस्तान्तरण हेतु न्यास कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत किया गया है। उक्त भूखंड का पट्टा क्रमांक 3951 दिनांक 27.08.2005 को श्री जितेन्द्र अग्रवाल पुत्र श्री छोटेलाल अग्रवाल एवं मुकेश चन्द गर्ग पुत्र श्री हरिबल्लभ के पक्ष में जारी किया गया था। पट्टाधारी द्वारा उक्त भूखंड का बैचान जर्ये रजि. विक्रय पत्र दिनांक 01.11.2012 को मथुरा लाल धाकड पुत्र श्री बालूराम धाकड को किया गया है। जिसका नाम हस्तान्तरण आदेश क्रमांक 305 दिनांक 13.08.2015 को जारी किया गया। नाम हस्तान्तरी द्वारा उक्त भूखंड का बैचान जर्ये रजि. विक्रय पत्र दिनांक 28.03.2023 को जर्ये मुख्तारआम श्री जिनेन्द्र जैन पुत्र श्री सोहन लाल जैन द्वारा आवेदकों के पक्ष में किया गया है।

अतः श्रीमती स्वीटी जैन पत्नी श्री मनीष कुमार जैन एवं मनीष कुमार जैन पुत्र स्व. श्री अशोक कुमार जैन के पक्ष में नाम हस्तान्तरण जारी किये जाने में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो अन्दर 7 योम कार्यालय में उपस्थित होकर अथवा लिखित में अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें। मियाद गुजर जाने के बाद आपत्ति मान्य नही होगी।

उपसचिव नगर विकास न्यास, कोटा

पश्चिम मध्य रेल्वे

सिगनल एवं दूर संचार विभाग

भारत संघ के राष्ट्रपति के लिए एवं उनकी ओर से वरि.मं.सं.एवं दू.सं.इंजी. (सिगनल एवं दूर संचार) पश्चिम मध्य रेल्वे, कोटा मंडल, निम्नलिखित कार्यों No.KOTA/S&T/Tele/2023/01 & No.KOTA/S&T/Tele/2022/02 R1 के लिये निर्धारित ई-निविदाएं आमंत्रित करते हैं टेण्डर खुलने की तारीख एवं समय 27.06.2023 को 15:00 बजे है। इस निविदा के लिये किसी भी तरह के मैनुअल प्रस्तावों की अनुमति नहीं है और किसी भी तरह के प्राप्त मैनुअल प्रस्ताव को नजरअंदाज कर दिया जायेगा। **टेण्डर सं.:** कोटा/एस एण्ड टी/टेली/2023/01, **कार्य का नाम:** प्रोविजन ऑफ क्लोज्ड सर्किट टीवी कैमरा (सि.सि.टीवी) सिस्टम ऐट क्रू लॉबी कोटा, गंगापुर स्टेशन एंड रनिंग रुम ऑफ कोटा, सवाईमाधोपुर गंगापुर स्टेशन ऑफ कोटा डिवीजन, (प.मध्य.रे.)। **कार्य की अनुमानित लागत (रु.):** 16,79,003.11, **टेण्डर फॉर्म की कीमत:** शून्य, **बयाना राशि (रु.):** 33600/-, **कार्य समाप्ति अवधि:**03 माह, **टेण्डर जमा करने आखिरी तारीख एवं समय:** दिनांक 27.06.2023 को 15:00 बजे तक। **टेण्डर सं.:** कोटा/एस एण्ड टी/टेली/2022/02 R1, **कार्य का नाम:** एनुअल मेटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ रिमोट क्विक डिप्लॉयमेंट सूटकेस टाइप पोर्टेबल VSAT इन्स्टाल्ड ऑन ART कोटा फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट ऑफ कोटा डिवीजन, पश्चिम मध्य रेलवे। **कार्य की अनुमानित लागत (रु.):** 15,91,474.08, **टेण्डर फॉर्म की कीमत:** शून्य, **बयाना राशि (रु.):** 32000/-, **कार्य समाप्ति अवधि:**36 माह, **टेण्डर जमा करने आखिरी तारीख एवं समय:** दिनांक 27.06.2023 को 15:00 बजे तक। पूर्ण विवरण वेबसाइट **http://www.ireps.gov.in** पर अपलोड की गई हैं। निविदा/बोलीदाताओं के पास कक्षा III डिजीटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र होना आवश्यक है और आई.आर.ई.पी.एस. पोर्टल पर रजिस्टर होना चाहिये। केवल पंजीकृत निविदा/बोलीदाताएँ ई-टेण्डरिंग पर भाग ले सकते है। सभी आवश्यक दस्तावेज ई-निविदा में भाग लेने के समय में अपलोड किया जाना चाहियें। पंजीकृत निविदा एण्ड GSTIN रजिस्टर होना चाहिये।

वरि.मं.सं. एवं दू.सं.इंजी. (समन्वय)
पश्चिम मध्य रेल्वे, कोटा मण्डल

कोरोना को हराना है, तो टीका लगवाना है

नाम परिवर्तन

मैंने अपना पुराना नाम नफीसा से बदलकर नया नाम नफीसा मुस्तफा जरीवाला रख लिया है। भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना पहचाना जावे।

पता-नफीसा मुस्तफा जरीवाला पत्नी मुस्तफा सदर बाजार सुनेल झालावाड़

नाम परिवर्तन

मैंने अपना पुराना नाम रवि लोकेश चन्द्र शुक्ला से बदलकर नया नाम रवि लोकेश शुक्ला रख लिया है। भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना पहचाना जावे।

पता-रवि लोकेश शुक्ला पुत्र रमेश चन्द्र शुक्ला घ-11 साबरमती कालोनी कोटा

नाम परिवर्तन

मैंने अपना पुराना नाम मेघा ओमप्रकाश जखोटिया से बदलकर नया नाम मेघा रोनक माहेश्वरी रख लिया है। भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना पहचाना जावे।

पता-मेघा रोनक माहेश्वरी पत्नी रोनक आनन्द माहेश्वरी C-503 आर्शीवाद आनन्दम बालाजी मार्केट श्रीनाथपुरम कोटा

नाम परिवर्तन

मैंने अपना पुराना नाम FAROOK MOHAMMED GORI से बदलकर नया नाम FAROOK MOHAMMAD GORI रख लिया है। भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना पहचाना जावे।

पता-फारुक मोहम्मद गोरी पुत्र अब्दुल अजीज 13 केसर बाग पुलिस लाईन कोटा

नाम परिवर्तन

मैंने अपना पुराना नाम VEERENDRA PRATAP SINGH KHICHI से बदलकर नया नाम VIRENDRA PRATAP SINGH KHICHI रख लिया है। भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना पहचाना जावे।

पता-विरेन्द्र प्रताप सिंह खींची पुत्र हेमराज सिंह खींची नियर काली टेक हनुमान मंदिर सकतपुरा कोटा

नाम परिवर्तन

मैंने अपना पुराना नाम KIFAYAT TULLA SHAKH से बदलकर नया नाम KIFAYAT TULLA SHEKH पुत्र NYAMAT TULLA SHEKH रख लिया है। भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना पहचाना जावे।

पता-किफायत तुल्ला शेख पुत्र नियामत तुल्ला शेख नियर ऐरो पब्लिक स्कूल टिप्पन की चौकी श्रीपुरा कोटा

एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड (ए शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक)

रजिस्टर्ड ऑफिसः 19-A, धुलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड, जयपुर-302001 (CIN:L36911RJ1996PLC011381)

सिक्युरिटाईजेशन अधिनियम 2002 की धारा 13 (2) के अन्तर्गत मांग सूचना पत्र

अधोहस्ताक्षरकर्ता एयू स्मॉल फाईनेंस बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी है।''वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 की''धारा 13(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी ने ऋण खातों के गैर निष्पादनीय आस्तियों (एन.पी.ए.) होने पर नीचे दी गई तालिका के अनुसार ऋणीयों/सह-ऋणीयों/ गारण्टर बंधककर्ताओं (जिन्हें आगे ऋणी/ऋणीयों के नाम से सम्बोधित किया जायेगा) को 60 दिनों के नोटिस प्रेषित किये थे, नोटिस के अनुसार यदि ऋणी 60 दिनों के भीतर सम्पूर्ण ऋण राशि जमा नही करवाते है तो प्राधिकृत अधिकारी प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में अधिनियम की धारा 13 उपधारा 4 व 14 के अन्तर्गत कदम उठाने हेतु स्वतंत्र होगा। जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ उसे प्रतिभूत आस्तियों का कब्जा लेने की शक्ति तथा उनका विक्रय करना सम्मिलित है। अतः आप ऋणीयों को यह सूचित किया जाता है कि निम्न सूची में दी गई सम्पूर्ण बकाया ऋण राशि भविष्य के ब्याज तथा खर्चों एवं लागतों इत्यादि के साथ 60 दिवस के भीतर जमा करवा दें। इसके अतिरिक्त आप ऋणीयों को यह सूचित किया जाता है कि उपरोक्त 13(13) में निर्दिष्ट सूचना की प्राप्ति के पश्चात प्रतिभूत लेनदार की पूर्व लिखित सहमति के बिना सूचना में निर्दिष्ट अपनी किन्ही प्रतिभूत आस्तियों को विक्रय द्वारा या पट्टे द्वारा अथवा किसी माध्यम से अन्तरित नहीं करेंगे। ऋणीयों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जाता है कि उक्त अधिनियम की धारा 13(8) सपठित नियम 3 (5) प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के अनुसार ऋणी अपनी बंधक सम्पत्ति को उसके द्वारा उपगत सभी खर्चों प्रभारों और व्ययों के सहित प्रतिभूत लेनदार द्वारा विक्रय या अन्तरण के लिये नीलामी सूचना के प्रकाशन से पूर्व किसी भी समय भुगतान करके मुक्त करवा सकते है।

ऋण खाता संख्या / ऋणी/सहऋणी/ बन्धकर्ता/गारन्टर का नाम	धारा 13(2) के अन्तर्गत नोटिस की दिनांक व राशि	बंधक सम्पत्ति का विवरण
(खाता सं.) L9001060122868419 **बालाजी गारमेंट्स (ऋणी)**, महेश मेहरा (सह-ऋणी), श्रीमती द्रोपदी बाई (सह-ऋणी), ब्रजमोहन मेहरा (सह-ऋणी)	06 मई 2023 ₹ 215548/- रु. दो लाख पन्द्रह हजार पांच सौ अड़तालीस मात्र दिनांक 05 मई 2023 तक	सम्पत्ति स्थित ग्राम पंचायत वार्ड नं. 1, मोतीपुरा मोहल्ला पलसावा, बारां अंता, जिला-बारां, राजस्थान **क्षेत्रफल 60.45 वर्ग गज**
(खाता सं.) L9001060117803212 **दशरथ शर्मा (ऋणी)**, रोडू लाल (सह-ऋणी)	08 मई 2023 ₹ 281020/- रु. दो लाख इक्यासी हजार बीस मात्र दिनांक 06 मई 2023 तक	सम्पत्ति स्थित पट्टा नं. 18366, संकल्प नं. 4, ग्राम-मिमानी, तहसील-पछपहाड़, जिला-झालावाड़, राजस्थान **क्षेत्रफल 825 वर्ग फीट**
(खाता सं.) L9001060717041455 **श्रीमती नीरू सुखीजा (ऋणी)**, हेमंत सुखीजा (सह-ऋणी)	08 मई 2023 ₹ 3259470/- रु. बत्तीस लाख उनसठ हजार चार सौ सत्तर मात्र दिनांक 06 मई 2023 तक	(1) सम्पत्ति स्थित शॉप नं. 39, छत के बिना पहली मंजिल, माणक भवन कॉम्पलेक्स, गुमानपुरा, जिला-कोटा, राजस्थान **क्षेत्रफल 161.25 वर्ग फीट** (2) सम्पत्ति स्थित शॉप नं. 39, छत के बिना पहली मंजिल, मानक भवन कॉम्पलेक्स, गुमानपुरा, जिला- कोटा, राजस्थान, पूर्व - रोड गली, पश्चिम - दुकान नंबर 40, उत्तर- आम मार्ग, दक्षिण - नरेंद्र सिंह का घर से घिरा हुआ :- **क्षेत्रफल 161.25 वर्ग फीट**
(खाता सं.) L9001060100175710 **रमेश चंद सुथार (ऋणी)**, श्रीमती मंजू बाई (सह-ऋणी) जमानतदार : कुलदिप सिंह सुराना	17 मई 2023 ₹ 2170412/- रु. इक्कीस लाख सत्तर हजार चार सौ बारह मात्र दिनांक 15 मई 2023 तक	सम्पत्ति स्थित ग्राम बड़ी ग्राम पंचायत डाबी, जिला-बूंदी, राजस्थान **क्षेत्रफल 2475 वर्ग गज**
(खाता सं.) L9001060719365328 **ललीत गोस्वामी (ऋणी)**, धन्ना लाल गोस्वामी (सह-ऋणी), श्रीमती मनभर बाई (सह-ऋणी), जमानतदार : जावेद हुसैन	17 मई 2023 ₹ 1652236/- रु. सोलह लाख बावन हजार दो सौ छत्तीस मात्र दिनांक 15 मई 2023 तक	सम्पत्ति स्थित भूमि खसरा नं. 5141 के ग्राम पंचायत भाग मे, ग्राम सुल्तानपुरा जीपी सुल्तानपु पीएस सुतनपुरा, जिला- कोटा, राजस्थान **क्षेत्रफल 177.78 वर्ग गज**
(खाता सं.) L9001060114236426 **प्रदित्या दाधीच (ऋणी)**, मदन लाल दाधीच (सह-ऋणी), श्रीमती ज्योतसना (सह-ऋणी)	17 मई 2023 ₹ 419475/- रु. चार लाख उन्नीस हजार चार सौ पचहत्तर मात्र दिनांक 15 मई 2023 तक	सम्पत्ति स्थित शॉप 22-बी शॉप नं. 4 उम्मेद पार्क के सामने नयापुरा कोटा राजस्थान 324007 **क्षेत्रफल 184 वर्ग फीट**
(खाता सं.) L9001060113884240 **अजय पालीवाल (ऋणी)**, आरती पालीवाल (सह-ऋणी), राम भारोस पालीवाल (सह-ऋणी), कन्हैया लाल पालीवाल (सह-ऋणी) श्रीमती उषा बाई पालीवाल (सह-ऋणी)	17 मई 2023 ₹ 2453698/- रु. चौबीस लाख तिरेपन हजार छह सौ अठानवे मात्र दिनांक 15 मई 2023 तक	(1) सम्पत्ति स्थित पट्टा नं.12, ग्राम- रतलाई, ते.- झालरापाटन, जिला- झालावाड़, राजस्थान **क्षेत्रफल 3000 वर्ग फीट** (2) सम्पत्ति स्थित पट्टा नं. 11, ग्राम.- रतलाई, ते.- झालरापाटन, जिला- झालावाड़, राजस्थान पंचायत समिति झालावाड़ बकानी **क्षेत्रफल 3000 वर्ग फीट**
(खाता सं.) L9001060830129329 **अजय पालीवाल (ऋणी)**, कन्हैया लाल पालीवाल (सह-ऋणी) राम भारोस पालीवाल (सह-ऋणी)	17 मई 2023 ₹ 2650907/- रु. छब्बीस लाख पचास हजार नौ सौ सात मात्र दिनांक 15 मई 2023 तक	सम्पत्ति स्थित ग्राम पंचायत -620, नाई मोहल्ला रतलाई झालरापाटन, जिला- झालावाड़, राजस्थान **क्षेत्रफल 3610 वर्ग फीट**
(खाता सं.) L9001060114187253 **देवेन्द्र कुमार सुमन (ऋणी)**, श्रीमती चन्द्रकला (सह-ऋणी)	17 मई 2023 ₹ 311674/- रु. तीन लाख ग्यारह हजार छह सौ चौहत्तर मात्र दिनांक 15 मई 2023 तक	सम्पत्ति स्थित ग्राम पंचायत 22, 1120, 1121, अटरू, जिला- बारां, राजस्थान **क्षेत्रफल 77.78 वर्ग फीट**
(खाता सं.) L9001060126903636 **ललीत (ऋणी)**, हेमराज (सह-ऋणी), श्रीमती भागवती बाई (सह-ऋणी)	17 मई 2023 ₹ 949737/- रु. नौ लाख उनचास हजार सात सौ सैंतीस मात्र दिनांक 15 मई 2023 तक	सम्पत्ति स्थित नगर निगम- करजोदा, जिला-कोटा, राजस्थान **क्षेत्रफल 1050 वर्ग गज**
(खाता सं.) L9001060115982321 **भोजराज महेता(ऋणी)**, श्रीमती सुमन कुमारी (सह-ऋणी)	17 मई 2023 ₹ 570480/- रु. पांच लाख सत्तर हजार चार सौ अस्सी मात्र दिनांक 15 मई 2023 तक	सम्पत्ति स्थित वार्ड नं. 7, गणेशपुरा, चोसला, गणेशपुरा ग्राम पंचायत अकोदिया, तहसील-कानपुर, जिला झालावाड़, राजस्थान, **क्षेत्रफल 2304 वर्ग फीट**
(खाता सं.) L9001060718068966 & L9001061121340686 **गोपी इंजीनियरिंग वर्क्स (ऋणी)**, प्रेम स्टेफेन (सह-ऋणी), ललीत कुमार गोपी (सह-ऋणी)	17 मई 2023 ₹ 2972406/- रु. उनतीस लाख बहत्तर हजार चार सौ छह मात्र व ₹ 401411/- रु. चार लाख एक हजार चार सौ ग्यारह मात्र दिनांक 15 मई 2023 तक	सम्पत्ति स्थित हाउसिंग बोर्ड हाउस नं. 8/374 इमली वाला बाड़ा नयापुरा, कोटा, जिला-कोटा, राजस्थान **क्षेत्रफल 153.33 वर्ग गज**
(खाता सं.) L9001060120486494 **जगदिश प्रसाद (ऋणी)**, श्रीमती जगन्नाथी बाई (सह-ऋणी)	17 मई 2023 ₹ 558537/- रु. पांच लाख अट्ठावन हजार पांच सौ सैंतीस मात्र दिनांक 15 मई 2023 तक	सम्पत्ति स्थित पट्टा नं. 06911, मिसल नं. 2, खसरा नं. 271, ग्राम - मुंडला, पीएस - सुल्तानौर, जिला- कोटा, राजस्थान **क्षेत्रफल 832 वर्ग फीट**
(खाता सं.) L9001060120721382 **मोहम्मद रऊफ (ऋणी)**, मोहम्मद हुसैन (सह-ऋणी), श्रीमती रिहाना जी (सह-ऋणी)	17 मई 2023 ₹ 232482/- रु. दो लाख बत्तीस हजार चार सौ बयासी मात्र दिनांक 15 मई 2023 तक	सम्पत्ति स्थित ग्राम पंचायत पट्टा नं. 31395, खसरा नं. 1519, ग्राम पंचायत मनोहरथाना, जिला- झालावाड़, राजस्थान **क्षेत्रफल 1152.75 वर्ग फीट**
(खाता सं.) L9001060823830518 **मोहम्मद रऊफ (ऋणी)**, मोहम्मद हुसैन (सह-ऋणी), श्रीमती रिहाना जी (सह-ऋणी)	17 मई 2023 ₹ 339580/- रु. तीन लाख उनतालीस हजार पांच सौ अस्सी मात्र दिनांक 15 मई 2023 तक	सम्पत्ति स्थित पट्टा नं. 31395, खसरा नं. 1519, ग्राम मनोहरथन, ग्राम - पंचायत मनोहरथन पंचायत समिति, मनोहरथन, जिला- झालावाड़, राजस्थान **क्षेत्रफल 1152.75 वर्ग फीट**
(खाता सं.) L9001060121738271 **आसानेन फुटवियर शॉप (ऋणी)**, इरफान जी (सह-ऋणी), इकबाल (सह-ऋणी), श्रीमती कानी (सह-ऋणी)	17 मई 2023 ₹ 1183544/- रु. ग्यारह लाख तिरासी हजार पांच सौ चवालीस मात्र दिनांक 15 मई 2023 तक	सम्पत्ति स्थित नगर निगम काला चबूतरा के पास सांगोद, जिला- कोटा, राजस्थान **क्षेत्रफल 160.58 वर्ग गज**
(खाता सं.) L9001060122452213 **राजेश बैरवा (ऋणी)**, अनोखा जी (सह-ऋणी), जितेन्द्र (सह-ऋणी), जमानतदार : राकेश मीणा	17 मई 2023 ₹ 840751/- रु. आठ लाख चालीस हजार सात सौ इकावन मात्र दिनांक 15 मई 2023 तक	सम्पत्ति स्थित नगर निगम पट्टा नं. 855, मिसल नं. 1780 इटावा, कोटा, पिप्लादा, राजस्थान **क्षेत्रफल 233.33 वर्ग गज**
(खाता सं.) L9001060825355173 **कैशव इंटरप्राइजेज (ऋणी)**, अजय पालीवाल (सह-ऋणी), राम भारोस पालीवाल (सह-ऋणी), कन्हैया लाल पालीवाल (सह-ऋणी)	17 मई 2023 ₹ 4019426/- रु. चालीस लाख उन्नीस हजार चार सौ छब्बीस मात्र दिनांक 15 मई 2023 तक	सम्पत्ति स्थित ग्राम पंचायत-बस स्टैंड रतलाई, जिला- झालावाड़, राजस्थान **क्षेत्रफल 5270 वर्ग गज**
(खाता सं.) L9001060117232470 **मोहसिन हुसैन (ऋणी)**, फिरोज खान (सह-ऋणी), श्रीमती बानो बी (सह-ऋणी)	19 मई 2023 ₹ 347782/- रु. तीन लाख सैंतालीस हजार सात सौ बयासी मात्र दिनांक 18 मई 2023 तक	सम्पत्ति स्थित केएच नं. 611, पट्टा नं. जेडब्ल्यूआर 50520, ग्राम - चौमहला, टीएएल- गंगधर, जिला- झालावाड़, राजस्थान **क्षेत्रफल 77.77 वर्ग गज**

स्थान : कोटा **दिनांक: 02-06-2023** **प्राधिकृत अधिकारी एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड**